

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 582
जिसका उत्तर 04.02.2021 को दिया जाना है
निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग

582. श्री उपेन्द्र सिंह रावत:

श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्तर प्रदेश में जोनपुर सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों से लेकर आज तक सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जौनपुर, उत्तर प्रदेश सहित देश में निर्माणाधीन राज्य / केंद्रशासित प्रदेश-वार राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विवरण **अनुबंध- I** पर हैं

(ख) एनएच के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित धन का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

अनुबंध-1

“निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग” के संबंध में श्री उपेन्द्र सिंह रावत और श्री भोलानाथ ‘बी.पी. सरोज’ द्वारा दिनांक 04.02.2021 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 582 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिसंबर, 2020 तक निर्माणाधीन एनएच का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	सं.	लंबाई	लागत (करोड़)
1	अण्डमान और निकोबार	12	295	1785
2	आंध्र प्रदेश	84	2390	29137
3	अरुणाचल प्रदेश	52	1381	15208
4	असम	72	1420	18124
5	बिहार	94	3012	49562
6	छत्तीसगढ़	53	2124	13578
7	दादरा और नगर हवेली	2	7	94
8	दमन और दीव	1	0	11
9	दिल्ली	9	137	12103
10	गोवा	21	189	5169
11	गुजरात	66	2146	41557
12	हरियाणा	55	1862	42123
13	हिमाचल प्रदेश	46	638	16675
14	जम्मू और कश्मीर	26	616	22895
15	झारखंड	42	1314	14819
16	कर्नाटक	87	3407	45127
17	केरल	36	733	14701
18	मध्य प्रदेश	89	3636	38743
19	महाराष्ट्र	328	10579	133255
20	मणिपुर	39	850	5685
21	मेघालय	17	198	1096
22	मिजोरम	26	827	7710
23	नागालैंड	49	967	9689
24	ओडिशा	59	2751	26454
25	पुडुचेरी	4	11	39
26	पंजाब	39	956	13719
27	राजस्थान	95	4989	56800
28	सिक्किम	31	423	3287
29	तमिलनाडु	99	3298	38457
30	तेलंगाना	53	2111	20813
31	त्रिपुरा	25	432	3321
32	यूटी लद्दाख	18	205	10250

33	उत्तर प्रदेश	94	4529	84481
34	उत्तराखण्ड	112	2006	18787
35	पश्चिम बंगाल	80	1681	22631
कुल		2015	62120	837885

अनुबंध-II

“निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग” के संबंध में श्री उपेन्द्र सिंह रावत और श्री भोलानाथ ‘बी.पी. सरोज’ द्वारा दिनांक 04.02.2021 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 582 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए आवंटित निधि का राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/यूटी/एजेंसी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	83.52	87.98	86.95	89.6
2	अरुणाचल प्रदेश	42.67	34.1	27.45	28.72
3	असम	122.63	48.33	31.98	28.49
4	बिहार	121.68	38.86	39.46	50.31
5	छत्तीसगढ़	28.17	28.59	38.75	25.02
6	गोवा	21.6	8.1	7.73	6.59
7	गुजरात	65.19	80.3	104.44	100.23
8	हरियाणा	40.38	0.8	7.5	0.5
9	हिमाचल प्रदेश	79.02	55.45	40.31	37.9
11	झारखंड	65.48	44.31	28.08	26.83
12	कर्नाटक	126.78	66.21	73.81	60.88
13	केरल	113.99	81.95	86.03	77.19
14	मध्य प्रदेश	75.37	40.59	44.68	25.11
15	महाराष्ट्र	225.75	387.9	237.65	125.25
16	मणिपुर	23.06	34.94	9.8	7.1
17	मेघालय	107.6	121.29	38.21	70.36
18	मिजोरम	125.93	158.98	51.87	48.97
19	नागालैंड	55.32	63.33	32.15	42.42
20	ओडिशा	34.81	43.24	61.01	55.31
21	पंजाब	38	33.2	17.28	10.74
22	राजस्थान	69.78	52.73	50.3	51.9
23	सिक्किम	4.13	16	14.86	11.94
24	तमिलनाडु	74.39	52.77	38.2	36.85
25	तेलंगाना	54.36	37.34	54.7	82.6
26	त्रिपुरा	40.65	47.94	36.02	25.71
27	उत्तर प्रदेश	88.53	73.07	92.39	116.22
28	उत्तराखंड	31.98	38.06	35.11	27.97
29	पश्चिम बंगाल	60.78	32.27	28.31	41.66
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0

31	चंडीगढ़	1.26	0.1	0.33	0.2
32	दादर और नगर हवेली ^	0.11	0.1	0.33	0.2
33	दमन और दीव ^	0.07	0.1	0.33	0.2
34	दिल्ली	0.98	0.5	1	0.5
	जम्मू और कश्मीर \$	12.95	33.48	8.18	2.02
	लद्दाख				0
35	पुडुचेरी	1.14	1.08	1.97	1.97
	उप योग (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र)	2,038.06	1,843.99	1,427.17	1317.46
36	एनएचएआई	575	272.19	400	400
37	एनएचआईडीसीएल	125	100	100	200
38	बी.आर.ओ.	135	115	140	142
39	पुल प्रबंधन प्रणाली	2.69			
40	रारा के साथ स्वच्छता गतिविधियाँ	91			
	उप-कुल (एजेंसियां / अन्य)	928.69	487.19	640	2,059.46
	पहले आओ पहले पाओ				-59.46
	कुल योग	2,966.75	2,331.18	2,067.17	2,000.00

\$ - जम्मू और कश्मीर राज्य और लद्दाख संघ के पुनर्गठन से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य

^ - विलय से पहले तत्काल यूटी

प्राधिकरणों को शुद्ध रूप से "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर व्यय करने की शर्त के आधार पर किया गया था कि कुल वित्तीय व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल आवंटन से अधिक नहीं है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का कम से कम समर्पण हो। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए खर्च वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आवंटन से अधिक रहा।
